अनुबंध 1

देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के लिए दिशानिर्देश

1. बैंकों की नयी शाखाएं खोलना तथा विद्यमान शाखाओं को स्थानांतरित करना बैंककारी अधिनियम 1949 की धारा 23 द्वारा नियंत्रित होता है। इन प्रावधानों के अनुसार बैंक कारोबार के विद्यमान स्थान को एक ही शहर, कस्बे या गांव के भीतर परिवर्तन करने के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भारत या विदेश में कारोबार का नया स्थान खोल नहीं सकते या उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 23(2) के अंतर्गत कोई भी अनुमति देने से पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक धारा 35 के अंतर्गत निरीक्षण के द्वारा अथवा किसी अन्य उपाय से संबंधित बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतिहास, उसके प्रबंधन की सामान्य विशेषता, उसकी पूंजी संरचना की पर्याप्तता तथा आय की संभावनाओं के संबंध में विश्वस्त होना चाहेगा और इस संबंध में भी आश्वस्त होना चाहेगा कि नयी शाखा खोलने से या कारोबार का स्थान बदलने से सार्वजनिक हित होगा।

2. 19 सितंबर 2013 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 54/22.01.001/2013-14 के अनुसार वर्तमान में देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना, रिपोर्टिंग के अधीन शाखाएं खोलने की अनुमति दी गयी है। भारत में देशी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की शाखा प्राधिकरण नीति निम्न पैराग्राफों में दी गयी है।

3. शाखा प्राधिकरण नीति के प्रयोजन से "शाखा" में सभी शाखाएं शामिल है; अर्थात् पूर्ण सुविधायुक्त शाखाएं, विशेषीकृत शाखाएं, सेटलाइट कार्यालय, मोबाइल शाखाएं, विस्तार काउंटर, ऑफ-साइट एटीएम (आटोमेटेड टेलर मशीन), प्रशासनिक कार्यालय, नियंत्रण कार्यालय, सेवा शाखाएं (बैक ऑफिस या प्रसंस्करण केंद्र), आदि।

4. शाखा प्राधिकरण नीति में देश के सभी टियर केंद्रों में (टियर 1 से टियर 6 तक) शाखा खोलना शामिल है। टियर-वार जन संख्या समूह परिशिष्ट 1 के अनुसार है। सारणी से हम देख सकते हैं कि टियर 1 में महानगर और शहरी केंद्र है, टियर 2, 3 और 4 में अर्ध-शहरी केंद्र तथा टियर 5 और 6 में ग्रामीण केंद्र शामिल हैं।

5. अधिक समरूप स्थानिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कम बैंक सुविधा वाले केंद्रों में विशेषतः कम बैंक सुविधावाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। कम बैंक सुविधावाला केंद्र (जिला या राज्य) वह होगा जहां प्रति शाखा कार्यालय औसत जनसंख्या (एपीपीबीओ) राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अतः इन केंद्रों में बैंक शाखाएं

होने के बावजूद वहां वांछित संख्या में बैंक शाखाएं नहीं हैं। यद्यपि ऐसे केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए कोई निर्धारित संख्या नहीं है, तथापि ऐसे केंद्रों में नीचे पैरा 10 में दिए गए अनुसार शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। कम बैंक सुविधावाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों की सूची परिशिष्ट 2 में दी गयी है।

6. बैंकिंग पैठ तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकिंग सुविधा रहित केंद्रों में शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। बैंकिंग सुविधा रहित केंद्र वह है जहां किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए कोई इमारती शाखा नहीं है। अतः वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति में यह प्रावधान किया गया है कि बैंकों को नीचे पैरा 9(क) में दिए गए अनुसार वर्ष में कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलनी होगी।

7. देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश भर में टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए दी गयी सामान्य अनुमति में बैंक की विशेषीकृत शाखाएं, विस्तार काउंटर, सेटलाईट कार्यालय, सेवा शाखाएं, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) और अन्य कार्यालय/शाखाएं शामिल हैं। अतः बैंकों को किसी भी केंद्र में शाखाएं या कारोबार के अन्य स्थान या प्रशासनिक कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करना आवश्यक नहीं है।

8. शाखा विस्तार के लिए वार्षिक नीति के एक भाग के रूप में बैंक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना बना सकते हैं जो बैंक के बोर्ड द्वारा मंजूर होनी चाहिए। योजना बनाते समय, बैंक, कम लागत वाली शाखाएं खोलने, फिजिकल फुटफॉल्स कम करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग और वर्च्युअल बैंकिंग सहित प्रौद्योगिकी का अभिनव प्रयोग करने, ग्राहक सेवा में सुधार, आदि घटकों का ध्यान रख सकते हैं।

9. किसी वित्त वर्ष के दौरान शाखाएं नीचे दी गईं शर्तों के अधीन खोली जाएगीं। विस्तार काउन्टर, सैटेलाईट कार्यालय, मोबाइल शाखाएं, केन्द्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी), सेवा केद्र और प्रशासनिक कार्यालय किसी भी केंद्र पर बिना अनुमति के खोले जा सकते हैं और नीचे दिए गए पैरा (क) और (ख) के प्रयोजन के लिए उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

क) वित्त वर्ष के दौरान खोली गई कुल शाखाओं (नीचे पैरा 10 में बताए अनुसार प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों की शाखाओं के लिए दी गई पात्रता को छोड़कर) में से कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों (टियर 5 और टियर 6) में खोली जानी चाहिए, अर्थात् ऐसे केंद्रों में जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कोई इमारती संरचना न हो।

ख) वित्त वर्ष के दौरान टियर 1 केंद्रों में खोली गई कुल शाखाएं (नीचे पैरा 10 में बताए अनुसार प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों की शाखाओं के लिए दी गई पात्रता को छोड़कर)

टियर 2 से 6 के केंद्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में स्थित सभी केंद्रों में खोली गई कुल शाखाओं से अधिक नहीं हो सकती।

10. जैसा कि उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लेख किया गया है, चूंकि अधिक समरूप स्थानिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में अधिक शाखाएं खोलने की सतत आवश्यकता है, इसलिए बैंकों को ऐसी शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तदनुसार, बैंक [उपर्युक्त पैरा 9(क) और (ख) में परिभाषित अपनी पात्रता के अतिरिक्त] टियर 1 के केंद्रों में उतनी शाखाएं खोल सकते हैं जितनी उन्होंने कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों के टियर 2 से टियर 6 के केंद्रों में खोली हैं। इस गणना में बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गई ऐसी ग्रामीण शाखाएं शामिल नहीं हैं जो कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में स्थित हैं।

11. बैंक यह सुनिश्चित करें कि किसी वित्त वर्ष के दौरान खोली गई सभी शाखाओं में ऊपर दिए गए मानदंडों का अनुपालन किया गया है। यदि कोई बैंक टियर 1 केंद्रों के लिए अपनी पात्रता के अनुरूप सभी शाखाएं खोलने में असमर्थ हो, तो वह परवर्ती दो वर्षों के दौरान ये शाखाएं खोल सकता है।

12. ऐसे बैंक, जो किसी कारणवश वित्त वर्ष के दौरान टियर 2 से 6 के केंद्रों में कुल शाखाएं अथवा बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों (टियर 5 से 6 के केंद्र) में शाखाएं खोलने के अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे अगले वित्त वर्ष में इस कमी को अवश्य पूरा करें।

13. बैंकों को दिनांक 28 मई, 2013 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी.97/22.01.001/ 2012-13 के माध्यम से सूचित किया गया था कि वे अपनी वित्तीय समावेश योजना (एफआईपी) के सम-आवधिक तीन वर्षीय चक्र में बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएँ खोलने का कार्य शुरू में ही पूरा करने (प्राथमिकता देने) के बारे में विचार कर सकते हैं। इसलिए, उस वर्ष के दौरान खोली गयी कुल शाखाओं के अपेक्षित 25 प्रतिशत से अधिक बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गई शाखाओं के लिए क्रेडिट दिया जाना जारी रहेगा और इसे वित्तीय समावेश योजना (एफआईपी) के आगामी वर्ष में मानदंड हासिल करने के लिए शामिल किया जाएगा।

14. उपर्युक्त सामान्य अनुमति उपर्युक्त पैरा 9 एवं 10 में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुपालन तथा अलग-अलग बैंकों के संबंध में विनियमन/पर्यवेक्षण संबंधी अनुकूलता के अधीन होगी। उपर्युक्त पैरा 9 एवं 12 में उल्लिखित दायित्वों को पूरा करने में असफल बैंकों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ उपर्युक्त मानदंड पूरा न करने वाले बैंकों को अभी दी जा रही सामान्य अनुमति वापस लेने का विकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक के पास होगा।

15. 31 मार्च को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान वास्तव में खोली गईं शाखाओं की वार्षिक रिपोर्ट बैंक के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और परिशिष्ट 3 में दिए गए प्रारूप में अधिकतम उस वर्ष के 30 जून तक बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, (बैंपविवि, केंका), शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 को प्रेषित किया जाना चाहिए। बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण और वित्तीय समावेशन योजनाओं की चर्चा के दौरान उपर्युक्त शर्तों के अनुरूप शाखाएं खोलने संबंधी अनुपालन की भी जांच की जाएगी।

16. वर्तमान में, शाखा प्राधिकरण पर दिनांक 01 जुलाई, 2013 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 18 /22.01.001/2013-14 के पैरा 23 में दी गईं रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार, बैंकों को मोबाइल शाखा/ मोबाइल एटीएम, और कॉल सेंटर सहित कारोबार के नये स्थान खोलने, और कारोबार के किसी विद्यमान स्थान के बंद होने, विलय होने, स्थान परिवर्तन अथवा रूपांतरण के संबंध में पूर्ण ब्योरों की सूचना, खोलने/बंद करने/विलय करने/ स्थान परिवर्तन/रूपांतरण होने के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को और महाराष्ट्र और गोवा में स्थित शाखाओं के संबंध में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय को भेजना चाहिए। सूचना भेजने संबंधी यह अपेक्षा जारी रहेगी।

17. शाखा बैंकिंग सांख्यिकी के लिए निर्धारित प्रोफार्मा I व II और प्रोफार्मा III व IV (उक्त मास्टर परिपत्र के अनुबंध 14 और 15) में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई- 400 051 को वर्तमान त्रैमासिक सूचना भेजा जाना भी जारी रहेगा। तथापि, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अथवा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा में स्थित केंद्रों के संबंध में) को इस विवरण की प्रस्तुति बंद की जाती है।

****

परिशिष्ट 1

जनसंख्या के आधार पर केंद्रों का टियर वार वर्गीकरण

i) केंद्रों का (टीयर वार) वर्गीकरण (2001 की जनगणना के अनुसार)

टीयर 1 - 1, 00,000 और उससे अधिक

टीयर 2 - 50,000 से 99,999

टीयर 3 - 20,000 से 49,999

टीयर 4 - 10,000 से 19,999

टीयर 5 - 5,000 से 9,999

टीयर 6 - 5,000 से कम

ii) जनसंख्या-समूह वार केंद्रों का वर्गीकरण

ग्रामीण केन्द्र - 9,999 तक जनसंख्या

अर्द्ध शहरी केंद्र – 10,000 से 99,999 तक

शहरी केंद्र - 1, 00,000 से 9,99,999 तक

महानगरीय केन्द्र - 10,00,000 तथा उससे अधिक

परिशिष्ट 2

कम बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों में कम बैंकिंग सुविधावाले जिलों की सूची
(2001 की जनगणना के आधार पर)

	अरुणाचल प्रदेश		**बिहार**
1.	चुंगलांग	5.	भागलपुर
2.	दिबांग वैली	6.	भोजपुर
3.	ईस्ट कामेंग	7.	बक्सर
4.	लोहित	8.	दरभंगा
5.	लोअर सुबनसिरी	9.	गया
6.	तिरप	10.	गोपालगंज
7.	अपर सिआंग	11.	जमुई
8.	अपर सुबनसिरी	12.	जहानाबाद
	असम	13.	कैमूर
1	बरपेटा	14.	कटिहार
2	बोंगाईगांव	15.	खगड़िया
3	कचार	16.	किशनगंज
4	दरांग	17.	लखिसराय
5	धेमाजी	18.	मधेपुरा
6	धुबरी	19.	मधुबनी
7	डिब्रूगढ़	20.	मुंगेर
8	गोलपाड़ा	21.	मुजफ्फरपुर
9	गोलाघाट	22.	नालंदा
10	हैलाकांडी	23.	नवादा
11	जोरहट	24.	पश्चिमी चंपारण
12	कार्बी आंगलांग	25.	पूर्वी चंपारण
13	करीमगंज	26.	पूर्णिया
14	काकरोझार	27.	रोहतास
15	लखीमपुर	28.	सहरसा
16	मोरीगांव	29.	समस्तीपुर
17	नगांव	30.	सारण
18	नलबारी	31.	शेखपुरा
19	शिवसागर	32.	शिवहर
20	सोनितपुर	33.	सीतामढ़ी
21	तिनसुकिया	34.	सिवान
	बिहार	35.	सुपौल
1.	अररिया	36.	वैशाली

2.	औरंगाबाद		**छत्तीसगढ़**
3.	बांका	1.	बस्तर
4.	बेगुसराय	2.	बिलासपुर
	छत्तीसगढ़		**मध्य प्रदेश**
3.	दांतेवाड़ा	6.	छिंदवाड़ा
4.	धमतारी	7.	दामोह
5	दुर्ग	8.	दतिया
6.	जंजगीर-चंपा	9.	देवास
7.	जशपुर	10.	धार
8.	कंकेर	11.	डिंडोरी
9.	कावर्धा	12.	पूर्वी निमाड़
10.	कोरबा	13.	गुना
11.	कोरिया	14.	हरदा
12.	महासमुंद	15.	होशंगाबाद
13.	रायगढ़	16.	झाबुआ
14.	रायपुर	17.	कटनी
15.	राजनंदगांव	18.	मंडला
16.	सरगुजा	19.	मंदसौर
	दादरा और नागर हवेली	20.	मुरैना
1.	दादरा और नागर हवेली	21.	नरसिंहपुर
	झारखंड	22.	नीमच
1.	बोकारो	23.	पन्ना
2.	चतरा	24.	रायसेन
3.	देवघर	25.	राजगढ़
4.	धनबाद	26.	रतलाम
5.	दुमका	27.	रीवा
6.	गढ़वा	28.	सागर
7.	गिरिडीह	29.	सतना
8.	गोड्डा	30.	सीहोर
9.	गुमला	31.	सिवनी
10.	हजारीबाग	32.	शहडोल
11.	कोडेरमा	33.	शाजापुर
12.	लोहरदगा	34.	शिवपुर
13.	पाकुर	35.	शिवपुरी
14.	पलामू	36.	सीधी
15.	पश्चिमी सिंहभूम	37.	टीकमगढ़
16.	साहेबगंज	38.	उज्जैन
	मध्य प्रदेश	39.	उमरिया
1.	बालाघाट	40.	विदिशा
2.	बड़वानी	41.	पश्चिमी निमाड़

3.	बैतूल		**मणिपुर**
4.	भिंड	1.	विष्णुपुर
5.	छतरपुर	2.	चंदेल
3.	चुरचंदपुर		**उड़ीसा**
4.	इम्फाल ईस्ट	17	मयूरभंज
5.	इम्फाल वेस्ट	18	नबरंगपुर
6.	तामेंगलाँग	19	नयागढ़
7.	थौबाल	20	नवापाड़ा
8.	उखरुल	21	पुरी
		22	रायगढ़
	मेघालय	23	सोनेपुर
1	ईस्ट गारो हिल्स	24	सुंदरगढ़
2	साऊथ गारो हिल्स		**राजस्थान**
3	वेस्ट गारो हिल्स	1	अलवर
	मिझोराम	2	बांसवाड़ा
1	लांगटलाई	3	बारन
2	सैहा	4	बाड़मेर
	नागालैंड	5	भरतपुर
1	दीमापुर	6	भीलवाड़ा
2	कोहिमा	7	बूंदी
3.	मोकोकचुंग	8	चितौड़गढ़
4.	मॉन	9	चुरू
5.	फेक	10	दौसा
6.	ट्युएनसंग	11	धौलपुर
7.	वोखा	12	डुंगरपुर
8.	जुन्हेबोटो	13	हनुमानगढ़
	उड़ीसा	14	जालौर
1	अंगुल	15	झालावाड़
2	बालंगीर	16	झुंझनू
3	बालेश्वर	17	जोधपुर
4	बारगढ़	18	करौली
5	भद्रक	19	नागौर
6	बौध	20	पाली
7	धेनकनाल	21	राजसमंद
8	गजपति	22	सवाई माधोपुर
9	गंजाम	23	सीकर
10	जाजपुर	24	टोंक
11	कालाहांडी	25	उदयपुर
12	कंधमाल		**त्रिपुरा**
13	केंद्रपाड़ा	1	धलाई

14	केओनझार	2	उत्तर त्रिपुरा
15	कोरापुट	3	दक्षिण त्रिपुरा
16	मालकाँगिरी	4	पश्चिम त्रिपुरा
	उत्तर प्रदेश		
1	आगरा	40	कुशीनगर
2	अलीगढ़	41	ललितपुर
3	इलाहाबाद	42	महाराजगंज
4	अंबेडकर नगर	43	महोबा
5	औरैया	44	मैनपुरी
6	आज़मगढ़	45	मथुरा
7	बागपत	46	मऊ
8	बहराइच	47	मिर्ज़ापुर
9	बलिया	48	मुरादाबाद
10	बलरामपुर	49	मुजफ्फरनगर
11	बांदा	50	पीलीभीत
12	बाराबंकी	51	प्रतापगढ़
13	बरेली	52	राय बरेली
14	बस्ती	53	रामपुर
15	बिजनौर	54	सहारनपुर
16	बदायूं	55	संत कबीर नगर
17	बुलंदशहर	56	संत रविदास नगर
18	चंदौली	57	शाहजहांपुर
19	चित्रकूट	58	श्रावस्ती
20	देवरिया	59	सिद्धार्थनगर
21	एटा	60	सीतापुर
22	इटावा	61	सोनभद्र
23	फैज़ाबाद	62	सुल्तानपुर
24	फर्रुखाबाद	63	उन्नाव
25	फतेहपुर		
26	फिरोज़ाबाद		**पश्चिम बंगाल**
27	गाज़ीपुर	1	बांकुरा
28	गोंडा	2	बर्धमान
29	गोरखपुर	3	बीरभूम
30	हमीरपुर	4	दक्षिण दिनाजपुर
31	हरदोई	5	हावड़ा
32	हाथरस	6	हुगली
33	जालौन	7	जलपाइगुड़ी
34	जौनपुर	8	कूच बिहार
35	झांसी	9	मालदा
36	ज्योतिबाफुले नगर	10	मेदिनीपुर

37	कन्नौज	11	मुर्शीदाबाद
38	कौशांबी	12	नदिया
39	खेरी	13	उत्तर 24 परगना
	पश्चिम बंगाल		**जम्मू और कश्मीर**
14	पुरुलिया	1.	अनंतनाग
15	दक्षिण 24 परगना	2.	डोडा
16	उत्तर दिनाजपुर	3.	कुपवाड़ा
		4.	पुंछ

कम बैंक सुविधावाले राज्यों में कम सुविधावाले जिलों की कुल संख्या - 296

परिशिष्ट 3

वार्षिक शाखा विस्तार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं का विवरण

बैंक का नाम:-

31 मार्च की स्थिति —

क्र.सं	**विवरण**	**टीयर-1**	**टियर-2**	**टियर-3**	**टियर-4**	**टियर-5**	**टियर-6**
1.	1 अप्रैल –--- अर्थात् वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कुल शाखाओं की संख्या						
1.1	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाओं की संख्या						
1.2	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं की संख्या						
1.3	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाओं की संख्या जो बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में नहीं हैं						
1.4	अन्य						
2.	पिछले वर्ष की अपेक्षा से अधिक खोली गयी शाखाओं की संख्या						
3.	पिछले वर्ष के दौरान न खोली गयी शाखाएं, अर्थात् पिछले वर्ष की अपेक्षा में कमी						
4.	वर्तमान वर्ष के दौरान खोली गयी कुल शाखाओं की संख्या						
4.1	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाओं की संख्या						
4.2	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं की संख्या						
4.3	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाओं की संख्या जो बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में नहीं हैं						
4.4	अन्य						
5.	शाखाओं की कुल संख्या 31 मार्च ----- की स्थिति (1 + 2 + 4)						
6.	वर्तमान वर्ष के दौरान न खोली गयी शाखाएं, अर्थात् अपेक्षा में कमी						
7.	वर्तमान वर्ष के दौरान अपेक्षा से अधिक खोली गयी शाखाओं की संख्या						